

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग**  
**मंत्रालय,**  
**महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर**

// अधिसूचना //

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 10.12.2020

क्रमांक एफ 11-2/2011/16 :- छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2/2011/16(पार्ट) दिनांक 18.07.2019 की अनुसूची के सरल क्र० 03 में उल्लेखित सेवा "विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि भुगतान योजना" के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3,4,5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

**अनुसूची**

| स. क्र. | कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम                          | छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है | सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)          | सक्षम अधिकारी                                               | अपीलीय अधिकारी                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                     | 3                                                                 | 4                                         | 5                                                    | 6                                                           | 7                                                                                         |
| 3.      | छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना       | 30 कार्य दिवस                             | सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी | सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 |

यह अधिसूचना उक्त योजना के अधिसूचना दिनांक 09.06.2020 से प्रभावशील होगी।

स्थापना/लेखा/उपकर/योजना/पंजीयन/समन्वय/भंडार/विधि  
शिक्रयत/एनआईसी/आरटीआई/अपील/स्टेनो

**12 DEC 2020**  
दिनांक

लेखाधिकारी/सचिव



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. रेणुका श्रीवास्तव)  
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (श्रम विभाग) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
3. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
5. सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल ब्लॉक-A, एकात्म पथ सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
7. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
10. समस्त जिला कलेक्टर, ..... (छ0ग0)।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ..... (छ0ग0)
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ... (छ0ग0)।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. एन0आई0सी0 शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर तत्काल वेबसाइट में अपलोड करने बाबत।
16. गार्ड फाईल।

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग**  
**मंत्रालय,**  
**महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर**

**// अधिसूचना //**

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.07.19

क्रमांक एफ 11-2/2011/16(पार्ट) : छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2/2011/16 दिनांक 30.06.2017 को संशोधित करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात :-

**अनुसूची**

| स. क्र. | कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम                          | छोगो लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है | सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)              | सक्षम अधिकारी                                               | अपीलीय अधिकारी                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                     | 3                                                                 | 4                                         | 5                                                        | 6                                                           | 7                                                                                           |
| 1.      | छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | हितग्राहियों के पंजीयन                                            | 30 कार्य दिवस                             | श्रम निरीक्षक / उप श्रम निरीक्षक                         | सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी    | सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल                                 |
| 2.      | छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | भगिनी प्रसूति सहायता योजना                                        | 30 कार्य दिवस                             | सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी | सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | श्रमायुक्त / मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 |

निरंतर.....2

|    |                                                       |                                                                               |               |                                                      |                                                             |                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि भुगतान योजना | 30 कार्य दिवस | सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी | सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1998 |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| स्थापना/लेखा/उप                             | न/समन्वय/भंडार |
| निधि/शिक्षा/एन.ए. 20/आर.टी.आई/प्रवर्तन/अपील |                |
| पदाधिकारी/मंडल/अधीनस्थ/सचिव                 |                |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

11/12/19  
(पी.डी.ओ.पुरबिया)  
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग  
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.07.19

पृष्ठा 0 क्र 0 एफ 11-2/2011/16(पार्ट)

प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।  
निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (श्रम विभाग) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल ब्लॉक-A, एकात्म पथ सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
- संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- समस्त जिला कलेक्टर, ..... (छ0ग0)।
- समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ..... (छ0ग0)
- समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ..... (छ0ग0)।

निरंतर.....3



Put up

13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. उपसंचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. गार्ड फाईल।

*[Signature]*  
छप सचिव  
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग**  
**मंत्रालय,**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,**  
**जिला-रायपुर**

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.07.19

क्रमांक एफ 11-2/2011/16 (पार्ट) : छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11-1/2019/16, दिनांक 30.01.2019 को अतिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात :-

अनुसूची

| स. क्र. | कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम                         | छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है | सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)                                           | सक्षम अधिकारी                                                             | अपीलीय अधिकारी                                        |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                    | 3                                                                 | 4                                         | 5                                                                                     | 6                                                                         | 7                                                     |
| 1.      | छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल | 1. हितग्राहियों के पंजीयन                                         | 30 कार्य दिवस                             | श्रम निरीक्षक/ उप श्रम निरीक्षक                                                       | श्रमायुक्त/ नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल | सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल |
|         |                                                      | 2. असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना                           | 30 कार्य दिवस                             | सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/ कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी | श्रमायुक्त/ नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल | सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल |

| स. क्र. | कार्यालय / निकाय / अभिकरण का नाम | छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है       | सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद) | सक्षम अधिकारी                                                              | अपीलीय अधिकारी                                        |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                | 3                                                                       | 4                                         | 5                                           | 6                                                                          | 7                                                     |
|         |                                  | 3. सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना                                    | 30 कार्य दिवस                             | श्रम निरीक्षक / उप श्रम निरीक्षक            | श्रमायुक्त / नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल | सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल |
|         |                                  | 4. ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना | 30 कार्य दिवस                             | श्रम निरीक्षक / उप श्रम निरीक्षक            | श्रमायुक्त / नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल | सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल |
|         |                                  | 5. असंगठित कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना                              | 30 कार्य दिवस                             | श्रम निरीक्षक / उप श्रम निरीक्षक            | श्रमायुक्त / नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल | सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल |

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

*(Signature)*  
(पी0डी0पुरबिया)  
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग  
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.07.19

पृष्ठा0 क्र0 एफ 11-2/2011/16(पार्ट)

प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
- निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।

निरंतर.....3

3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
4. अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल ब्लॉक-A, एकात्म पथ सेक्टर-24, अटल नगर जिला-रायपुर (छ0ग0)।
5. कलेक्टर, जिला - ..... (छ0ग0)।
6. नोडल अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
7. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)।
8. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ..... (छ0ग0)।
9. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी जिला- ..... (छ0ग0)।
10. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
11. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. गार्ड फाईल।



12/7/19  
उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

Add. LC/DLC (S)/DLC (J)/ALC (T)/ALC (P)  
Dir. ESI/DD/AD ( ) /LO/Other .....

Labour Commissioner

26 JUL 2019

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग,**  
**मंत्रालय,**  
**महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर**

**// अधिसूचना //**

अटल नगर, रायपुर, दिनांक ३४/०१/२०१९

**क्रमांक एफ ११-१/२०१९/१६ :** छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, २०११ (क्रमांक २३ सन् २०११) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक ११-२/२०११/१६, दिनांक १६.१२.२०११ को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा ३, ४, ५ एवं ७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

**अनुसूची**

| स. क्र. | कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम                         | छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, २०११ हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है | सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)                                        | सक्षम अधिकारी                                                            | अपीलीय अधिकारी                                        |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| १       | २                                                    | ३                                                                 | ४                                         | ५                                                                                  | ६                                                                        | ७                                                     |
| १.      | छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल | १. हितग्राहियों के पंजीयन                                         | १५ दिवस                                   | श्रम निरीक्षक/उप श्रम निरीक्षक                                                     | श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल | सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल |
|         |                                                      | २. योजनाओं से संबंधित आवेदनों का निराकरण                          | ३० दिवस                                   | सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी | श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल | सचिव, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल |

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(दिव्या उमेश मिश्रा)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठा 000 एफ 11-1/2019/16

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 30/01/2019

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी एवं पदेन अध्यक्ष, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।
  2. निज सचिव, सचिव, छ.ग. भासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।
  3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।
  4. अध्यक्ष, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।
  5. कलेक्टर, जिला - ..... (छ.ग.)।
  6. नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।
  7. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।
  8. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा..... (छ.ग.)।
  9. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, जिला-.....(छ.ग.)।
  10. संचालक, जनसंपर्क विभाग, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
  11. उपसंचालक, भासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. गार्ड फाईल।

  
 उप सचिव,  
 छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग,**  
**महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर**

**// अधिसूचना //**

नया रायपुर, दिनांक 05/06/2018

**क्रमांक एफ 11-2/2011/16 :-** छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2/2011/16 दिनांक 30.06.2017 में राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के सरल क्रमांक-2 के बिन्दु क्रमांक 6 एवं 7 के कॉलम नं. 4 में उल्लेखित सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा में संशोधन करते हुए (कार्य दिवस) **"15 कार्य दिवस से बढ़ाकर 60 कार्य दिवस"** किया जाता है।

**अनुसूची**

| स. क्र | कार्यालय/निकाय /अभिकरण का नाम                                     | छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है                                                                             | सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद) | सक्षम अधिकारी                      | अपीलीय अधिकारी |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1      | 2                                                                 | 3                                                                                                                                            | 4                                         | 5                                           | 6                                  | 7              |
| 2.     | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा                         | 6. नक्शा का अनुमोदन एवं निर्माण/विस्तार या किसी भवन को कारखाने के रूप में उपयोग करने हेतु अनुज्ञप्ति (20 या 20 से अधिक नियोजन के संदर्भ में) | 60 कार्य दिवस                             | श्रमायुक्त/ मुख्य कारखाना निरीक्षक          | सचिव                               | भारसाधक मंत्री |
|        | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय | 7. नक्शा का अनुमोदन एवं निर्माण/विस्तार या किसी भवन को कारखाने के रूप में उपयोग करने हेतु अनुज्ञप्ति (20 से कम नियोजन के संदर्भ में)         | 60 कार्य दिवस                             | उप संचालक/ सहायक संचालक                     | श्रमायुक्त/ मुख्य कारखाना निरीक्षक | सचिव           |

यह संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(दिव्या समेता मिश्रा)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग  
नया रायपुर, दिनांक 05/06/2018

**पृष्ठांकन एफ 11-2/2011/16**

**प्रतिलिपि :-**

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.),
- निज सचिव, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.),
- श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.),

....2....

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग,**  
**महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर**

**// अधिसूचना //**

**नया रायपुर, दिनांक 06/11/2017**

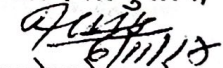
**क्रमांक एफ 11-2/2011/16 :-** छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2/2011/16 दिनांक 30.06.2017 में आंशिक संशोधन करते हुये सरल क्रमांक-2 में उल्लेखित सेवाओं के अंत में अर्थात् सेवा क्रमांक-7 के बाद सेवा क्रमांक-8 को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है।

**अनुसूची**

| स. क्र | कार्यालय/निकाय /अभिकरण का नाम                                     | छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है | सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद) | सक्षम अधिकारी                       | अपीलीय अधिकारी |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1      | 2                                                                 | 3                                                                | 4                                         | 5                                           | 6                                   | 7              |
| 1.     | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय | 8. कारखाना लाईरोन्स नवीनीकरण कार्य                               | 30 कार्य दिवस                             | उप संचालक / सहायक संचालक                    | श्रमायुक्त / मुख्य कारखाना निरीक्षक | सचिव           |

उक्त संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(ए०के०के०ए०)  
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

**पृष्ठांकन एफ 11-2/2011/16**

**नया रायपुर, दिनांक 06/11/2017**

**प्रतिलिपि :-**

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.),
- निज सचिव, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.),
- श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.),
- सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ.ग.),
- कल्याण आयुक्त, छ.ग. श्रम कल्याण मण्डल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ.ग.),
- प्रभारी अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, नया रायपुर (छ.ग.),
- संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें रायपुर (छ.ग.),
- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.),
- समस्त कलेक्टर, जिला-..... (छ.ग.),
- समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय .....(छ.ग.)।

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग,**  
**महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर**

**// अधिसूचना //**

नया रायपुर, दिनांक 30.06.17

क्रमांक एफ 11-2/2011/16 :- छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2/2011/16, दिनांक 16.12.2011 को अतिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

**अनुसूची**

| स. क्र. | कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम                         | २०१० लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है                                                                                                               | सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद) | सक्षम अधिकारी                        | अपीलीय अधिकारी |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1       | 2                                                    | 3                                                                                                                                                                               | 4                                         | 5                                           | 6                                    | 7              |
| 1.      | श्रमायुक्त कार्यालय                                  | 1. छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1980 के तहत समझौता, ठहराव अवार्ड का पंजीयन                                                                                                 | 30 कार्य दिवस                             | पंजीयक                                      | श्रमायुक्त                           | सचिव           |
|         | श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय | 2. हृदिना कृषि श्रमिक क्षतिपूर्ति दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर स्वीकृति का कार्य                                                                           | 45 कार्य दिवस                             | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत        | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | श्रमायुक्त     |
|         | श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय | 3. ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीयन/पंजीयन में संशोधन, अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति में संशोधन, अनुज्ञप्ति का नवकरण करना                               | 15 कार्य दिवस                             | सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी             | उप श्रमायुक्त                        | श्रमायुक्त     |
|         | श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय | 4. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 के अंतर्गत पंजीयन/पंजीयन में संशोधन, अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति में संशोधन, अनुज्ञप्ति का नवकरण करना | 15 कार्य दिवस                             | सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी             | उप श्रमायुक्त                        | श्रमायुक्त     |
|         | श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय | 5. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीयन/पंजीयन का संशोधन करना                                                                                                    | 15 कार्य दिवस                             | सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी             | उप श्रमायुक्त                        | श्रमायुक्त     |
|         | श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय | 6. बीड़ी सिगार कर्मकार (नियोजन का शर्त) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीयन/पंजीयन का संशोधन करना                                                                                   | 15 कार्य दिवस                             | सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी             | उप श्रमायुक्त                        | श्रमायुक्त     |

क्रमशः .... 2

|    |                                                                   |                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत समस्त मैदानी कार्यालय              | 7. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1998 के अंतर्गत पंजीयन/पंजीयन का संशोधन करना                  | 15 कार्य दिवस | सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी                                                                                                | उप श्रमायुक्त                                                                                                                  | श्रमायुक्त                                                                                 |
| 2. | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय | 1. प्राणांतक दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर, घटना स्थल की जाँच                                                                            | 07 कार्य दिवस | सहायक संचालक                                                                                                                    | उप संचालक                                                                                                                      | संचालक                                                                                     |
|    | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय | 2. प्राणांतक दुर्घटना स्थल की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु                                                                                    | 07 कार्य दिवस | सहायक संचालक                                                                                                                    | उप संचालक                                                                                                                      | संचालक                                                                                     |
|    | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय | 3. गंभीर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर, घटना स्थल की जाँच                                                                                | 15 कार्य दिवस | सहायक संचालक                                                                                                                    | उप संचालक                                                                                                                      | संचालक                                                                                     |
|    | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय | 4. गंभीर दुर्घटना की स्थल की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु                                                                                     | 15 कार्य दिवस | सहायक संचालक                                                                                                                    | उप संचालक                                                                                                                      | संचालक                                                                                     |
|    | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय | 5. शिकायत की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु                                                                                                     | 30 कार्य दिवस | सहायक संचालक                                                                                                                    | उप संचालक                                                                                                                      | संचालक                                                                                     |
|    | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा                         | 6. नक्शा का अनुमोदन एवं निर्माण/विस्तार या किसी भवन को कारखाने के रूप में उपयोग करने हेतु अनुज्ञप्ति (20 या 20 से अधिक नियोजन के संदर्भ में) | 15 कार्य दिवस | श्रमायुक्त/ मुख्य कारखाना निरीक्षक                                                                                              | सचिव                                                                                                                           | भारसाघक मंत्री                                                                             |
|    | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा समस्त जिला कार्यालय | 7. नक्शा का अनुमोदन एवं निर्माण/विस्तार या किसी भवन को कारखाने के रूप में उपयोग करने हेतु अनुज्ञप्ति (20 से कम नियोजन के संदर्भ में)         | 15 कार्य दिवस | उप संचालक/ सहायक संचालक                                                                                                         | श्रमायुक्त/ मुख्य कारखाना निरीक्षक                                                                                             | सचिव                                                                                       |
| 3  | छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल             | 1. हितग्राहियों के पंजीयन                                                                                                                    | 15 कार्य दिवस | श्रम निरीक्षक/ उप श्रम निरीक्षक                                                                                                 | सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी | सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल                                |
|    | छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल             | 2. मगिनी प्रसूति सहायता योजना                                                                                                                | 15 कार्य दिवस | सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी/ श्रम जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी | सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल                                                                    | श्रमायुक्त/ मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1998 |

|                                                       |                                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                              |                                                             |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | 3. राजमाता विजयाराजे सामूहिक विवाह योजना                                                                                                                                   | 15 कार्य दिवस | सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी | सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 |
| छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | 4. विश्वकर्मा मृत्यु पर अत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना                                                                                                            | 15 कार्य दिवस | सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी | सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 |
| 4 छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल                          | 5. बालिका विवाह सहायता योजना                                                                                                                                               | 15 कार्य दिवस | कल्याण आयुक्त                                                                                                                | संयुक्त सचिव/उप सचिव                                        | सचिव श्रम                                                                                 |
| छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल                            | 6. मृत्यु सहायता योजना                                                                                                                                                     | 07 कार्य दिवस | कल्याण आयुक्त                                                                                                                | संयुक्त सचिव/उप सचिव                                        | सचिव श्रम                                                                                 |
| 5. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें                        | 1. औषधालय स्तर पर परीक्षण एवं उपलब्ध औषधियों का प्रदाय                                                                                                                     | 03 कार्य दिवस | औषधालय स्तर का प्रभारी अधिकारी                                                                                               | बीमा चिकित्सा पदाधिकारी प्रभारी केन्द्र                     | संचालनालय में पदस्थ वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/उप संचालक/संचालक                       |
| कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें                           | 2. औषधालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुनर्भुगतान/अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण                                                                                            | 15 कार्य दिवस | औषधालय स्तर का प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी                                                                               | बीमा चिकित्सा पदाधिकारी प्रभारी केन्द्र                     | संचालनालय में पदस्थ वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/उप संचालक/संचालक                       |
| कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें                           | 3. संचालनालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुनर्भुगतान/अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण                                                                                         | 15 कार्य दिवस | संचालनालय में पदस्थ कार्यालय अधीक्षक/वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/उप संचालक                                                | संचालनालय के वरिष्ठ बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/उप संचालक       | संचालक                                                                                    |
| 6. नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाय         | छ0ग0 दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 6 के अंतर्गत पंजीयन व प्रमाण पत्र जारी करना/नवीनीकरण करना, धारा 7 के अंतर्गत संशोधन करना तथा धारा 8 के अंतर्गत अपंजीकरण करना. | 24 घंटे       | स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी                                                                                       | संबंधित जिला के सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधिकारी               | उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय                                                        |

यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(याकुब खैरुल्लाह)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन एफ 11-2/2011/16

नया रायपुर, दिनांक ३०.०६.१७

प्रतिलिपि :-

01. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
02. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
03. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड-03, नया रायपुर (छ0ग0)।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
05. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
06. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
07. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, नया रायपुर (छ0ग0)।
08. संचालक, संचालनालय, औ0स्वा0 एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
09. समस्त कलेक्टर, जिला- ..... (छ0ग0)।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय ..... (छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ..... (छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14. गार्ड फाईल।

*[Signature]*  
30/6/17  
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

# छत्तीसगढ़ शासन

## श्रम विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

// अधिसूचना //

106

रायपुर दिनांक 16.12.2011

क्रमांक एफ 11-2/2011/16:-छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

### अनुसूची

| स.क्र. | कार्यालय/निकाय/अभिकरण का नाम                           | छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है                                 | सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)                                                                                   | सक्षम अधिकारी                                                                                                                 | अपीलीय प्राधिकारी                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                      | 3                                                                                                     | 4                                         | 5                                                                                                                             | 6                                                                                                                             | 7                                                                                      |
| 1.     | श्रमायुक्त कार्यालय                                    | 1. छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के तहत समझौता, ठहराव अवार्ड का पंजीयन                       | 30 कार्य दिवस                             | पंजीयक                                                                                                                        | अपर आयुक्त                                                                                                                    | श्रमायुक्त                                                                             |
|        | श्रमायुक्त कार्यालय                                    | 2. इंदिरा कृषि श्रमिक क्षतिपूर्ति दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर स्वीकृति का कार्य | 45 कार्य दिवस                             | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत                                                                                          | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत                                                                                          | श्रमायुक्त                                                                             |
| 2.     | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा              | 1. प्राणांतक दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल की जाँच                                      | 07 कार्य दिवस                             | सहायक संचालक                                                                                                                  | उप संचालक                                                                                                                     | संचालक                                                                                 |
|        | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा              | 2. प्राणांतक दुर्घटना स्थल की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु                                             | 07 कार्य दिवस                             | सहायक संचालक                                                                                                                  | उप संचालक                                                                                                                     | संचालक                                                                                 |
|        | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा              | 3. गंभीर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल की जाँच                                          | 15 कार्य दिवस                             | सहायक संचालक                                                                                                                  | उप संचालक                                                                                                                     | संचालक                                                                                 |
|        | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा              | 4. गंभीर दुर्घटना स्थल की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु                                                 | 15 कार्य दिवस                             | सहायक संचालक                                                                                                                  | उप संचालक                                                                                                                     | संचालक                                                                                 |
|        | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा              | 5. शिकायत की जाँच कर प्रतिवेदन देने हेतु                                                              | 90 कार्य दिवस                             | सहायक संचालक                                                                                                                  | उप संचालक                                                                                                                     | संचालक                                                                                 |
| 3.     | छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल | 1. हितप्राप्तियों के पंजीयन                                                                           | 45 कार्य दिवस                             | श्रम निरीक्षक/उप श्रम निरीक्षक                                                                                                | सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी | सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल                           |
|        | छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल | 2. भगिनी प्रसूति सहायता योजना                                                                         | 30 कार्य दिवस                             | सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी | सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल                                                                  | श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम, 2008 |
|        | छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल | 3. राजमाता विजयाराजे सामूहिक विवाह योजना                                                              | 30 कार्य दिवस                             | सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ जिन जिलों में श्रम विभाग के कार्यालय स्थापित न हो वहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी | सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल                                                                  | श्रमायुक्त/मुख्य निरीक्षक, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण नियम, 2008 |

167/21

| स.क | कार्यालय/<br>निकाय/<br>अभिकरण का नाम                            | छ0ग0 लोक सेवा गारंटी<br>अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो<br>प्रदाय की जानी है                       | सेवा प्रदाय<br>करने की<br>समय सीमा<br>(कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले<br>पदाभिहित अधिकारी<br>(पद)                                                                                            | सक्षम अधिकारी                                                      | अपीलीय प्राधिकार                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                               | 3                                                                                            | 4                                                  | 5                                                                                                                                            | 6                                                                  | 7                                                                                                     |
|     | छत्तीसगढ़ भवन<br>एवं अन्य सन्निर्माण<br>कर्मकार कल्याण<br>मण्डल | 4. विश्वकर्मा मृत्यु पर अंत्येष्टि<br>एवं अनुग्रह राशि भुगतान<br>योजना                       | 30 कार्य<br>दिवस                                   | सहायक श्रमायुक्त/श्रम<br>पदाधिकारी/ जिन<br>जिलों में श्रम विभाग के<br>कार्यालय स्थापित न हो<br>वहां पर जिला कलेक्टर<br>द्वारा अधिकृत अधिकारी | सचिव, छत्तीसगढ़ भवन<br>एवं अन्य सन्निर्माण<br>कर्मकार कल्याण मण्डल | श्रमायुक्त/मुख्य<br>निरीक्षक, छत्तीसगढ़<br>भवन एवं अन्य<br>सन्निर्माण कर्मकार<br>कल्याण नियम,<br>2008 |
| 4.  | छत्तीसगढ़ श्रम<br>कल्याण मंडल                                   | 5. बालिका विवाह सहायता<br>योजना                                                              | 30 कार्य<br>दिवस                                   | कल्याण आयुक्त                                                                                                                                | संयुक्त सचिव/उप<br>सचिव                                            | सचिव श्रम                                                                                             |
|     | — " —                                                           | 6. मृत्यु सहायता योजना                                                                       | 30 कार्य<br>दिवस                                   | कल्याण आयुक्त                                                                                                                                | संयुक्त सचिव/उप<br>सचिव                                            | सचिव श्रम                                                                                             |
| 5.  | कर्मचारी राज्य<br>बीमा सेवायें                                  | 1. औषधालय स्तर पर<br>परीक्षण एवं उपलब्ध<br>औषधियों का प्रदाय                                 | 3 कार्य दिवस                                       | औषधालय स्तर का<br>प्रभारी अधिकारी                                                                                                            | बीमा चिकित्सा<br>पदाधिकारी प्रभारी केन्द्र                         | संचालनालय में पदस्थ<br>वरिष्ठ बीमा चिकित्सा<br>पदाधिकारी/उप<br>संचालक/ संचालक                         |
|     | कर्मचारी राज्य<br>बीमा सेवायें                                  | 2. औषधालय स्तर पर बीमित<br>व्यक्तियों के पुनर्मुग्तान/<br>अग्रिम के प्रकरणों का<br>निराकरण   | 30 कार्य<br>दिवस                                   | औषधालय स्तर का<br>प्रभारी बीमा चिकित्सा<br>पदाधिकारी                                                                                         | बीमा चिकित्सा<br>पदाधिकारी प्रभारी केन्द्र                         | संचालनालय में पदस्थ<br>वरिष्ठ बीमा चिकित्सा<br>पदाधिकारी/उप<br>संचालक/ संचालक                         |
|     | कर्मचारी राज्य<br>बीमा सेवायें                                  | 3. संचालनालय स्तर पर<br>बीमित व्यक्तियों के<br>पुनर्मुग्तान/अग्रिम के<br>प्रकरणों का निराकरण | 30 कार्य<br>दिवस                                   | संचालनालय, में पदस्थ<br>कार्यालय अधीक्षक/<br>वरिष्ठ बीमा चिकित्सा<br>पदाधिकारी/उप<br>संचालक                                                  | संचालनालय में वरिष्ठ<br>बीमा चिकित्सा<br>पदाधिकारी/उप<br>संचालक    | संचालक                                                                                                |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,  
तथा आदेशानुसार

(के0डी0 कुंजाम)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग